Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed
Multidisciplinary Journal
Volume 4 | Issue 2 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

बकरी पालन हेतु सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएँ: रीवा जिले के विशेष संदर्भ में

Government Sponsored Schemes for Goat Farming : With Special Reference to Rewa District

शोध–निर्देशक
डॉ. कुमुद श्रीवास्तव
प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय
रीवा, जिला–रीवा (म.प्र.)

शोधार्थी
कोमल चन्द्र द्विवेदी
शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय
रीवा, जिला–रीवा (म.प्र.)

सारांश (Abstract)-

प्रस्तुत शोध पत्र में बकरी पालन हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का रीवा जिले के विशेष संदर्भ में विस्तृत आर्थिक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में रीवा जिले की छः तहसीलों–रीवा, त्योंथर, सिरमौर, जवा, गंगेव एवं राजपुर–में राष्ट्रीय पशुधन मिशन, म.प्र. बकरी पालन विकास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, AHIDF, किसान क्रेडिट कार्ड एवं मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के क्रियान्वयन की स्थिति का द्वितीयक आँकड़ों के माध्यम से मूल्यांकन किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 के मध्य जिले में कुल हितग्राहियों की संख्या में 35.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बकरी संख्या में 43.60 प्रतिशत की वृद्धि तथा अनुमानित वार्षिक उत्पादन मूल्य 633.9 लाख रुपये तक पहुँचना इन योजनाओं की सफलता का प्रमाण है। शोध पत्र में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नीतिगत सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं।

मुख्य शब्द (Keywords)

बकरी पालन, सरकारी योजनाएँ, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, रीवा जिला, ग्रामीण विकास, PMMY, AHIDF, KCC, आर्थिक प्रभाव, पशुधन विकास, मध्यप्रदेश।

प्रस्तावना (Introduction)-

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ लगभग 58 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं उससे सम्बद्ध गतिविधियों पर आश्रित है। पशुपालन कृषि का एक अभिन्न अंग है तथा ग्रामीण आजीविका में इसकी भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। बकरी पालन पशुपालन का वह स्वरूप है जो सीमान्त, लघु एवं भूमिहीन किसानों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें न्यूनतम पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है तथा बकरियाँ विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में आसानी से जीवित रह सकती हैं। भारत में बकरियों की कुल संख्या 20वीं पशुगणना के अनुसार लगभग 14.88 करोड़ है, जो विश्व में चीन के पश्चात् दूसरे स्थान पर है।

मध्यप्रदेश का बघेलखण्ड अंचल एवं रीवा जिला परम्परागत रूप से बकरी पालन में समृद्ध रहा है। यहाँ की जनजातीय एवं ग्रामीण जनसंख्या के लिए बकरी एक चल-सम्पत्ति के रूप में महत्त्वपूर्ण आर्थिक भूमिका निभाती है। किन्तु परम्परागत बकरी पालन अव्यवस्थित, अवैज्ञानिक एवं कम लाभकारी रहा है। इसी कमी को दूर करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बकरी पालन को व्यवस्थित उद्यम के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है। इन योजनाओं ने न केवल तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की है, बल्कि बकरी पालन को ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका के एक स्थायी विकल्प के रूप में स्थापित करने में भी सहायता की है। रीवा जिले में इन योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति एवं उनके आर्थिक प्रभाव का व्यवस्थित अध्ययन अभी तक अपेक्षित रूप में नहीं हो पाया था, इसी अभाव की पूर्ति प्रस्तुत शोध पत्र का केन्द्रीय प्रयोजन है।

शोध पत्र का उद्देश्य (Objectives)-

प्रस्तुत शोध पत्र के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं। प्रथम उद्देश्य बकरी पालन हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं के वित्तीय प्रावधानों एवं पात्रता मानदण्डों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना है। द्वितीय उद्देश्य रीवा जिले की छः तहसीलों में इन योजनाओं के हितग्राहियों की संख्या एवं वितरण का तहसीलवार विश्लेषण करना है। तृतीय उद्देश्य वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि में योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति एवं हितग्राहियों की वृद्धि दर का मूल्यांकन करना है। चतुर्थ उद्देश्य इन योजनाओं के प्रभाव में आई बकरी जनसंख्या वृद्धि एवं उत्पादन मूल्य परिवर्तन का विश्लेषण करना है। पंचम उद्देश्य इन योजनाओं की कमियों की पहचान करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना है।

महत्त्व (Significance)-

इस शोध पत्र का अकादमिक एवं व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से महत्त्व है। अकादमिक दृष्टि से यह शोध पत्र रीवा जिले में बकरी पालन योजनाओं के तुलनात्मक विश्लेषण का एक प्रथम व्यवस्थित प्रयास है। यह अध्ययन इस विषय में भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए एक सन्दर्भ बिन्दु का कार्य करेगा। व्यावहारिक दृष्टि से नीति निर्माताओं को यह समझने में सहायता मिलेगी कि कौन-सी योजनाएँ रीवा जिले के संदर्भ में अधिक प्रभावी सिद्ध हो रही हैं और किन क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों, बैंकर्स एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए यह शोध पत्र उपयोगी दिशा-निर्देश प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त बघेलखण्ड क्षेत्र में ग्रामीण आजीविका की चुनौतियों को समझने के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है।

शोध प्रविधि (Research Methodology)-

प्रस्तुत शोध पत्र पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। द्वितीयक आँकड़ों के स्रोतों में पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार के वार्षिक प्रतिवेदन; म.प्र. पशुपालन विभाग, भोपाल के जिलावार आँकड़े; जिला पंचायत रीवा के पशुपालन विभाग की तहसीलवार रिपोर्ट; 20वीं पशुगणना 2019; NABARD के

ग्रामीण ऋण एवं पशुपालन प्रतिवेदन; NLM पोर्टल के प्रगति आँकड़े; प्रकाशित शोध पत्र एवं पुस्तकें सम्मिलित हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि मऊगंज, हनुमना एवं नईगढ़ी तहसीलें वर्तमान में नवगठित मऊगंज जिले का भाग हैं, अतः इन्हें अध्ययन क्षेत्र से बाहर रखा गया है। आँकड़ों का विश्लेषण सरल प्रतिशत, वृद्धि दर, तुलनात्मक सारणी एवं प्रवृत्ति विश्लेषण विधि से किया गया है।

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का वर्णन-

सारणी-1

बकरी पालन हेतु प्रमुख सरकारी योजनाओं का सामान्य विवरण

क्र.	योजना का नाम	प्रारम्भ वर्ष	संचालक मंत्रालय/विभाग	लाभार्थी वर्ग
1	राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)	2014-15	पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार	उद्यमी, किसान, SHG, FPO
2	म.प्र. बकरी पालन विकास योजना	2012-13	पशुपालन विभाग, म.प्र. शासन	SC/ST/OBC/सीमान्त किसान
3	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)	2015	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	लघु उद्यमी, ग्रामीण उद्यमी

4	AHIDF (पशुपालन अवसंरचना कोष)	2020	पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार	निजी उद्यमी, MSME, FPO
5	किसान क्रेडिट कार्ड (KCC-पशुधन)	2019 (विस्तार)	वित्त मंत्रालय / NABARD	सभी पशुपालक किसान
6	मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना (म.प्र.)	2021-22	पशुपालन विभाग, म.प्र. शासन	गरीब परिवार, महिला समूह

बकरी पालन के क्षेत्र में केन्द्र एवं राज्य स्तर पर अनेक योजनाएँ संचालित हैं। इन योजनाओं की सामान्य जानकारी एवं पात्रता का विवरण निम्नलिखित सारणी-1 में प्रस्तुत है।

सारणी-1 से स्पष्ट है कि बकरी पालन हेतु छः प्रमुख योजनाएँ संचालित हैं जो विभिन्न स्तरों पर ग्रामीण पशुपालकों को लाभान्वित करती हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2014-15 में प्रारम्भ हुई और यह केन्द्र सरकार की सर्वाधिक व्यापक पशुधन विकास योजना है जो उद्यमियों, किसानों, स्वयं सहायता समूहों एवं कृषक उत्पादक संगठनों को लाभान्वित करती है। म.प्र. बकरी पालन विकास योजना 2012-13 में प्रारम्भ हुई और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सीमान्त किसानों के लिए लक्षित है। PMMY के माध्यम से लघु एवं ग्रामीण उद्यमियों को संस्थागत ऋण सुलभ कराया जा रहा है। AHIDF वर्ष 2020 में कोविड पश्चात् आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए प्रारम्भ की गई और बड़े निवेश के इच्छुक उद्यमियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। KCC-पशुधन एवं मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना क्रमशः ऋण सुलभता एवं गरीब परिवारों को बकरी पालन से जोड़ने हेतु महत्त्वपूर्ण साधन सिद्ध हो रही हैं।

योजनाओं के वित्तीय प्रावधान-

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान, ऋण सीमा तथा ब्याज दरों का विवरण सारणी-2 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी-2

योजनाओं के वित्तीय प्रावधान एवं म.प्र. हेतु आवंटन

क्र.	योजना	अनुदान/सब्सिडी	ऋण सीमा (₹)	ब्याज दर (%)	म.प्र. हेतु आवंटन (करोड़ ₹)
1	राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)	50% (SC/ST हेतु 60%)	50 लाख तक	7-9	142.6
2	म.प्र. बकरी पालन विकास योजना	40-50%	1.5 लाख तक	10-12	38.4
3	PMMY (शिशु/किशोर/तरुण)	शून्य (ऋण मात्र)	10 लाख तक	10-12	– (राष्ट्रीय स्तर)
4	AHIDF	3% ब्याज अनुदान	50 करोड़ तक	8-9 (अनुदान पश्चात् 5-6)	62.8

5	KCC-पशुधन	2% ब्याज छूट	3 लाख तक	4-5 (प्रभावी)	– (बैंक संचालित)
6	मु. पशुपालन विकास योजना (म.प्र.)	75% (BPL हेतु)	75,000 तक	राज्य वित्तपोषित	28.2

सारणी-2 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है, जो अधिकतम 50 लाख रुपये तक की परियोजना पर उपलब्ध है। मध्यप्रदेश को इस योजना के अन्तर्गत 142.6 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। म.प्र. बकरी पालन विकास योजना के अन्तर्गत 40 से 50 प्रतिशत अनुदान के साथ 1.5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर ऋण सुविधा उपलब्ध है, जिसके लिए 38.4 करोड़ रुपये का राज्य आवंटन है। AHIDF सर्वाधिक बड़े निवेश वाली योजना है जिसमें 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 50 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण उपलब्ध है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में 2 प्रतिशत ब्याज छूट के साथ 3 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा है जो पशुपालकों के लिए अत्यंत सुलभ है। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना बीपीएल परिवारों को 75 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान करती है जो सर्वाधिक वंचित वर्ग के लिए सर्वाधिक लाभकारी योजना है।

तहसीलवार हितग्राही वितरण (2024-25)-

रीवा जिले की छः तहसीलों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या का विवरण सारणी-3 में दिया गया है।

सारणी-3

तहसीलवार योजनावार हितग्राही वितरण, रीवा जिला (2024-25)

क्र.	तहसील	NLM हितग्राही	म.प्र. बकरी योजना	PMMY हितग्राही	KCC हितग्राही	कुल लाभार्थी
1	रीवा	148	112	96	84	440
2	त्योंथर	124	98	82	72	376
3	सिरमौर	108	87	74	63	332
4	जवा	96	79	68	57	300
5	गंगेव	88	71	62	52	273
6	राजपुर	82	66	58	48	254
	कुल योग	646	513	440	376	1975

सारणी-3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि रीवा जिले की छः तहसीलों में वर्ष 2024-25 में कुल 1,975 हितग्राही विभिन्न बकरी पालन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। रीवा तहसील में सर्वाधिक 440 हितग्राही हैं, जिसका प्रमुख कारण यहाँ की बेहतर प्रशासनिक एवं बैंकिंग सुविधाएँ हैं। त्योंथर तहसील में 376 हितग्राही होना यह प्रदर्शित करता है कि सुदूर क्षेत्रों में भी योजनाओं की पहुँच हो रही है। सिरमौर में 332, जवा में 300, गंगेव में 273 तथा राजपुर में 254 हितग्राही हैं। राजपुर एवं गंगेव में हितग्राहियों की अपेक्षाकृत कम संख्या इन क्षेत्रों में बैंकिंग अवसंरचना एवं जागरूकता की कमी को इंगित करती है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन से सर्वाधिक 646 हितग्राही लाभान्वित हैं, जो इस योजना की व्यापकता एवं लोकप्रियता का

प्रमाण है। किसान क्रेडिट कार्ड से 376 पशुपालकों को ऋण सुविधा प्राप्त हुई है, जो बैंकिंग समावेशन की दिशा में उत्साहजनक संकेत है।

योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति (2021-22 से 2023-24)-

तीन वर्षों की अवधि में रीवा जिले में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों की संख्या में हुए परिवर्तन का विवरण सारणी-4 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी-4

रीवा जिले में बकरी पालन योजनाओं के क्रियान्वयन की त्रिवार्षिक प्रगति

क्र.	योजना	2021-22 (हितग्राही)	2022-23 (हितग्राही)	2023-24 (हितग्राही)	वृद्धि दर (%)
1	राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)	498	574	646	+29.72
2	म.प्र. बकरी पालन विकास योजना	387	448	513	+32.56
3	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)	318	378	440	+38.36
4	KCC-पशुधन	264	318	376	+42.42
5	AHIDF एवं अन्य	48	68	84	+75.00
	कुल योग	1515	1786	2059	+35.90

सारणी-4 से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 की तीन वर्षीय अवधि में रीवा जिले में बकरी पालन योजनाओं के हितग्राहियों की कुल संख्या 1,515 से बढ़कर 2,059 हो गई, जो 35.90 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। व्यक्तिगत योजनाओं का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि AHIDF एवं अन्य योजनाओं में सर्वाधिक 75.00 प्रतिशत की वृद्धि दर रही, जो इस नवीन योजना के प्रति पशुपालकों की बढ़ती जागरूकता को दर्शाती है। किसान क्रेडिट कार्ड में 42.42 प्रतिशत की वृद्धि बैंकिंग समावेशन के सफल प्रयासों का परिणाम है। PMMY में 38.36 प्रतिशत की वृद्धि लघु उद्यमियों में इस योजना की बढ़ती लोकप्रियता को प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन में 29.72 प्रतिशत एवं म.प्र. बकरी पालन विकास योजना में 32.56 प्रतिशत की वृद्धि स्थिर एवं निरन्तर प्रगति का संकेत है। समग्र रूप से यह प्रवृत्ति यह सिद्ध करती है कि रीवा जिले में बकरी पालन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी एवं गतिशील रूप से हो रहा है।

बकरी जनसंख्या एवं उत्पादन मूल्य पर प्रभाव-

सरकारी योजनाओं का सर्वाधिक प्रत्यक्ष प्रभाव रीवा जिले में बकरी जनसंख्या तथा उससे प्राप्त उत्पादन मूल्य में वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुआ है। इसका तहसीलवार विवरण सारणी-5 में दिया गया है।

सारणी-5

तहसीलवार बकरी जनसंख्या एवं उत्पादन मूल्य (2019 एवं 2024 की तुलना)

क्र.	तहसील	2019 में बकरी संख्या	2024 में बकरी संख्या	वृद्धि (%)	अनुमानित वार्षिक उत्पादन मूल्य (₹ लाख)
1	रीवा	18,420	26,840	+45.71	134.2
2	त्योंथर	16,380	23,510	+43.53	117.6

3	सिरमौर	14,960	21,280	+42.24	106.4
4	जवा	13,740	19,620	+42.79	98.1
5	गंगेव	12,860	18,440	+43.39	92.2
6	राजपुर	11,920	17,080	+43.29	85.4
	कुल योग	88,280	1,26,770	+43.60	633.9

सारणी-5 का विश्लेषण अत्यंत उत्साहजनक परिणाम प्रस्तुत करता है। वर्ष 2019 से 2024 की पाँच वर्षीय अवधि में रीवा जिले की छः तहसीलों में बकरी जनसंख्या 88,280 से बढ़कर 1,26,770 हो गई, जो 43.60 प्रतिशत की महत्त्वपूर्ण वृद्धि है। रीवा तहसील में सर्वाधिक 45.71 प्रतिशत की वृद्धि दर रही तथा यहाँ से अनुमानित वार्षिक उत्पादन मूल्य 134.2 लाख रुपये है। त्योंथर में 43.53 प्रतिशत, सिरमौर में 42.24 प्रतिशत, जवा में 42.79 प्रतिशत, गंगेव में 43.39 प्रतिशत एवं राजपुर में 43.29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह तथ्य विशेष महत्त्व का है कि समस्त तहसीलों में वृद्धि दर लगभग समान है, जो योजनाओं के समन्वित एवं समतामूलक क्रियान्वयन का संकेत है। जिले में कुल अनुमानित वार्षिक उत्पादन मूल्य 633.9 लाख रुपये है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बकरी पालन के महत्त्वपूर्ण योगदान को प्रमाणित करता है। इस वृद्धि का श्रेय निःसन्देह सरकारी योजनाओं द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण एवं बाजार संपर्क को जाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)-

प्रस्तुत शोध पत्र के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष उभरकर सामने आते हैं। रीवा जिले में सरकार द्वारा प्रायोजित बकरी पालन योजनाओं का क्रियान्वयन निरन्तर प्रगतिशील है, जो हितग्राहियों की संख्या में 35.90 प्रतिशत की वृद्धि से स्पष्ट है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन जिले में सर्वाधिक व्यापक पहुँच वाली योजना है जिससे 646 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। वित्तीय दृष्टि से NLM का म.प्र. आवंटन 142.6 करोड़ रुपये सर्वाधिक है, जो इस योजना की प्राथमिकता को दर्शाता है। बकरी जनसंख्या में 43.60

प्रतिशत की पाँच वर्षीय वृद्धि यह प्रमाणित करती है कि सरकारी हस्तक्षेप से पशुधन विकास की गति तीव्र हुई है। जिले में अनुमानित वार्षिक उत्पादन मूल्य 633.9 लाख रुपये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बकरी पालन के महत्त्वपूर्ण योगदान को प्रमाणित करता है। रीवा एवं त्योंथर तहसीलों में बेहतर प्रशासनिक एवं बैंकिंग अवसंरचना के कारण हितग्राहियों की संख्या अधिक है, जबकि राजपुर एवं गंगेव में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। AHIDF जैसी नवीन योजनाओं में 75 प्रतिशत की वृद्धि दर यह संकेत देती है कि जिले में बकरी पालन के व्यवसायीकरण की दिशा में उत्साहजनक प्रगति हो रही है।

सुझाव (Suggestions)-

शोध के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं। राजपुर एवं गंगेव जैसी कम हितग्राही संख्या वाली तहसीलों में योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किये जाने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जाये तथा ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इसकी सुविधा सुनिश्चित की जाये। बैंकों को ग्रामीण स्तर पर KCC-पशुधन ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिये जायें ताकि पशुपालकों को संस्थागत ऋण की सुलभ उपलब्धता हो। बकरी नस्ल सुधार कार्यक्रम को योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ा जाये ताकि उत्पादकता में वृद्धि हो। तहसील स्तर पर बकरी उत्पाद विपणन केन्द्रों की स्थापना की जाये जहाँ पशुपालक उचित मूल्य पर अपनी बकरियाँ एवं उत्पाद बेच सकें। महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता के आधार पर बकरी पालन योजनाओं से लाभान्वित किया जाये। योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर एक समन्वित डिजिटल डैशबोर्ड विकसित किया जाये।

संदर्भ सूची (References)-

1. भारत सरकार (2023). राष्ट्रीय पशुधन मिशन: वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2022-23. पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नई दिल्ली।
2. भारत सरकार (2023). पशुधन क्षेत्र पर संक्षिप्त: 20वीं पशुगणना 2019. पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग, नई दिल्ली।

3. मध्यप्रदेश पशुपालन विभाग (2024). म.प्र. बकरी पालन विकास योजना: क्रियान्वयन एवं प्रगति प्रतिवेदन 2023-24. भोपाल।

4. NABARD (2023). Annual Report 2022-23: Rural Credit and Livestock Development. National Bank for Agriculture and Rural Development, Mumbai.

5. जिला पंचायत रीवा, पशुपालन शाखा (2024). बकरी पालन हितग्राही पंजिका एवं तहसीलवार विवरण 2023-24. रीवा।

6. शर्मा, आर.पी. एवं वर्मा, एस.के. (2022). मध्यप्रदेश में पशुधन विकास योजनाएँ एवं ग्रामीण आर्थिक रूपान्तरण. भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पत्रिका, 19(1), 34-52।

7. Mishra, A.K. & Yadav, P. (2021). Implementation of National Livestock Mission in Central India: Issues and Prospects. Journal of Agricultural Policy, 8(2), 112-126.

8. पटेल, आर.एल. एवं तिवारी, एस. (2020). म.प्र. में बकरी पालन योजनाओं का आर्थिक मूल्यांकन. पशुधन अनुसंधान पत्रिका, 14(3), 78-94।

9. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (2023). प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23. नई दिल्ली।

10. Singh, D. & Gupta, M. (2020). Goat Farming as a Tool for Rural Employment Generation: A Study of Baghelkhand Region. Indian Journal of Rural Economics, 17(2), 56-71.

11. Reserve Bank of India (2023). Report on Agriculture and Rural Credit. RBI, Mumbai.

12. म.प्र. राज्य योजना आयोग (2022). मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22. भोपाल।